

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2408] No. 2408] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 24, 2017/भाद्र 2, 1939

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 24, 2017/BHADRA 2, 1939

### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2017

का.आ. 2751(अ).—केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 अगस्त, 2017 को वह तारीख नियुक्त करती है जबिक उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (8), उपधारा (9) और उपधारा (10) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/12/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2017

**S.O.** 2751(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 24<sup>th</sup> day of August, 2017 as the date on which the provisions of sub-sections (8), (9) and sub-section (10) of section 212 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/12/2013 CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

5243 GI/2017